

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री बजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 146/2023 (GCMS No. 2023/154) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भगवानसिंह पुत्र रामप्रसाद
2. भजन लाल पुत्र जोहरी
3. देवीसिंह पुत्र चरनीराम
4. संजय कुमार पुत्र प्रभूदयाल
5. शिवो पुत्र मौजा
6. महाराजसिंह पुत्र दुरजन सिंह

अकवाम जाटवान निवासी सेंथरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलाट्स

बनाम

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेंथरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर जरिये प्रधानाध्यापक महेश सोलंकी सेंथरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. जिला कलक्टर भरतपुर।

.....रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर आदेश क्रमांक राजस्व/12/2(47)05/18 /दिनांक 19.03.2004 बावत् आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 080 एयर वांके ग्राम सेंथरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।



उपस्थिति:-

1. अपीलाट्स की ओर से श्री जीतेन्द्र कर्दम, वकील
2. रेस्पो. सं. 1 की ओर से श्री दिनेश चन्द शर्मा, वकील

निर्णय

दिनांक : 18.07.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 19.03.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर भरतपुर ने तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के प्रस्तावानुसार ग्राम सेंथरी तहसील कुम्हेर के आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 1.10 हैक्टैयर किस्म खार में से 0.80 हैक्टे. भूमि की किस्म खारिज होने पर आवंटन राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेंथरी तहसील कुम्हेर को गैर कानूनी रूप से कर दिया। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री दिनेश चन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पों. संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. पर दलील दी कि गावों वालों को अब तक पता नहीं था शान्तिपूर्वक आराजी को काम में लेते आ रहे थे। दिनांक 21.04.2022 को पटवारी हल्का ने कहा कि उक्त रकवा का आवंटन सन 2004 में हो गया है। तो दिनांक 22.04.2022 को जानकारी करने पर नकल प्रार्थना पत्र पेश किया और नकल प्राप्त कर अपील जानकारी होने के अन्दर मियाद पेश पेश है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। धारा 96 सी.पी.सी. पर कथन किया कि आवंटन आदेश 19.03.2004 हम प्रार्थीगण ग्राम वालों को बिना बताये एवं नोटिस दिये एकतरफा में बिना जांच किया है। उक्त आदेश से हम पीडित हैं हम गांव वालों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिए वह प्रभावित है एवं अपील करने का हक रखते हैं। अतः अपील पेश करने की इजाजत दी जावे।
5. आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 0.80 हैक्टे. वांके ग्राम सेंथरी तहसील कुम्हेर में स्थित है जो गैर मुमकिन आबादी होने से आराजी पर ग्राम पंचायत सेंथरी के जाटवों का बहुत पुराना कब्जा है तथा उक्त आराजी में जाटव समाज के व्यक्तियों का हनुमानजी का मंदिर बना हुआ है जिसमें जाटव समाज के लोग अपनी आस्था से पूजा सेवा करते हैं। जाटव समाज के पुराने थान बने हुए हैं एवं कुआ बना हुआ है। उक्त आराजी की मंजूरी ग्राम पंचायत ने धर्मशाला एवं कुआं व सार्वजनिक बगीची के लिए सरपंच ने पूर्व में दे रखी है। उक्त आराजी का आवंटन जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 19.03.2004 को रेस्पों. संख्या 1 के हक में कानून के खिलाफ किया गया है। आराजी ख.नं. 205 रकवा 0.80 हैक्टे. की जब पूर्व में मंजूरी दे रखी है तो बिना मौके जांच किये हुए व कब्जे की वास्तविक जांच के बिना आवंटन निरस्तनीय है। उक्त आराजी में धर्मशाला, कुआ एवं हनुमानजी का मंदिर बना हुआ है तथा शादी विवाह के काम में आती है। चुनावी रंजिश के आधार पर उन लोगों से प्रेरित होकर उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जिसके आधार पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन कर दिया। उक्त आराजी मुतनाजा किस्म गैर मुमकिन खेडा है तथा उँची नीची होने से बच्चों की फील्ड के लिए काम नहीं आ सकती है। उक्त विद्यालय जिसको जगह आवंटन की गई है वह उक्त आराजी से करीब एक से डेढ किलोमीटर दूरी पर है जो विद्यालय के काम नहीं आ सकती है। उक्त आराजी पर ए.सी.जे.एम. कोर्ट द्वारा स्थगन जारी कर पाबन्द किया

अतिरिक्त सभागीय आयुक्त  
भरतपुर

हुआ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2004 निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 191/6.15 में से 0.80 हैक्टे. जमीन स्कूल के लिए दिनांक 19.03.2004 को आवंटन की गई। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश के 18 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में डिले का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कहना कि उसको आवंटन आदेश की जानकारी नहीं थी गलत है। अपीलांट को आवंटन के दिनांक से ही जानकारी थी। सिवायचक भूमि को बिना अनुमति के ग्राम पंचायत को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं था। पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां द्वारा प्रस्ताव तहसीलदार को प्रेषित किये हैं स्कूल में 90 बच्चे अध्ययनरत हैं। विवादित आराजी पर सरसों की लकड़ी डालकर कब्जा किया हुआ है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर में दावा विचाराधीन है जिसमें कब्जा करने वालों के विरुद्ध स्थगन दिया हुआ है। अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पो. द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा आरबीजे 2007 (S.C) पेज 438, आरबीजे 2010 (RHC) पेज 289, आरबीजे 2023 (RHC) पेज 17 एवं आरबीजे 2010 पेज 90 उद्धृत किये।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. का विनिश्चय करना उचित समझते हैं। दिनांक 21.04.2022 को पटवारी हल्का ने कहा कि उक्त रकवा का आवंटन सन 2004 में हो गया है। तो दिनांक 22.04.2022 को जानकारी करने पर नकल प्रार्थना पत्र पेश किया और नकल प्राप्त कर अपील जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। धारा 96 सी.पी.सी. पर कथन है कि आवंटन आदेश 19.03.2004 हम प्रार्थीगण ग्राम वालों को बिना बताये एवं नोटिस दिये एकतरफा में बिना जांच किया है। उक्त आदेश से हम पीडित हैं। हम गांव वालों को आवंटन से पूर्व नहीं सुना गया। इसलिए वह प्रभावित है। हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं धारा 96 सी.पी.सी. के तर्कों से सहमत हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया है ताकि उभयपक्ष की उचित सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो सके और कोई भी पक्ष बिना सुने न रहे।

अतः प्रकस्ण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपील में हुए विलम्ब



की अवधि को कंडोन किया जाता है तथा अपील पेश करने की अनुमति प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं।

8. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 1.10 हैक्टे. में से 0.80 हैक्टे. गैर मुमकिन खेडा वांके ग्राम सैंथरी के आवंटन प्रस्ताव जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित किये गये। आवंटन से पूर्व जिला कलक्टर भरतपुर ने पत्र दिनांक 23.08.2003 से उक्त भूमि गै. मु. खार होने से राज्य सरकार की अधिसूचना प6(10)राज/6/99/2 दिनांक 13.02.2001 के खण्ड 1 के अनुसार प्रस्तावित भूमि की किस्म परिवर्तन की स्वीकृति शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर से चाही गई। राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.6(332)राज./ग्रुप-3/03 जयपुर दिनांक 28.02.2004 द्वारा उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन खार खारिज कर रा0 प्रा0 वि. सैंथरी को क्रीडास्थल हेतु निशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2004 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैंथरी तहसील कुम्हेर को आवंटन कर दिया गया। उक्त भूमि जमाबंदी खतौनी संवत् 2056-2059, में मिल्कियत सरकार गै. मु. खेडा दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.08.2003 के अनुसार उक्त आराजी ख. नं. 205 रकवा 0.80 हैक्टे. सरकारी होना मौके पर खाली पडा होना एवं विद्यालय के नजदीक होने तथा किसी का कब्जा व विवाद नहीं होने की रिपोर्ट प्रेषित की है। इसी आधार पर आवंटन किया गया है। तत्समय अतिक्रमण की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है तथापि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी अपीलांटस को कानूनन कोई अधिकार एवं हक प्राप्त नहीं होते हैं और ऐसी भूमि के संबंध में हुए आवंटन को निरस्त कराने का ऐसे अपीलांट/अतिक्रमी को कोई विधिक रूप से अधिकार नहीं है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।
9. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है और अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 19.03.2004 यथावत जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापस लौटाई जावे।
10. आज दिनांक 18.07.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया) 18/7/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

भरतपुर

आतारक्त संभागीय आयुक्त  
भरतपुर